कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
दुलदुला–2, जिला जशपुर (छ0ग0)
//विज्ञप्ति//

क्रमांक/298 /स्था0/बाविपरि./2019–20 दुलदुला–2, दिनांक 24/10/2019

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक/278/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02–04–2008 के नियम 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार पूर्व से स्वीकृत, प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में स्वीकृत आं.बा. सहायिका के **02 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता** तथा **05 आंगनबाड़ी सहायिका** के पद रिक्त है। पद पूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आं.बा. सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना दुलदुला के कार्यालय में **दिनांक 25.10.2019 से 08.11.2019 संध्या 05.30** बजे तक आमंत्रित किए जाते है। आवेदन पत्र स्वयं/प्रतिनिधि भेजकर/डाक से भेजकर जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है :–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)।
2. आवेदिका उसी राजस्व ग्राम के टोले, पारे के निवासी हो, चूंकि मूल्यांकन पत्रक में उस राजस्व ग्राम के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठता सूची तैयार की जावेगी। अतः आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए। जिस राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।
3. निवासी होने के प्रमाण में (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगायी जावे अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम के पारा टोला व वार्ड क्रमांक में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

   टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतू सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिका नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिसकी छः माह की वैधता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समाप्त न हुई हो) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक की पात्रता होगी। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आं.बा. कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति हेतु रिक्त पद का विवरण :–

क.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम/ क्रमांक	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1	दुलदुला	कस्तुरा	जामपानी	जामपानी	नवाटोली	मिनी आं.बा. कार्यकर्ता
2	दुलदुला	लोरो	चांपाटोली	चांपाटोली	रामबंध	मिनी आं.बा. कार्यकर्ता
3	दुलदुला	कस्तुरा	जामटोली	जामटोली	बांसटोली	आं.बा.सहायिका
4	दुलदुला	कस्तुरा	झरगांव	झरगांव	झरगांव–2	आं.बा.सहायिका
5	दुलदुला	लोरो	लोरो	लोरो	लोरो	आं.बा.सहायिका
6	दुलदुला	कस्तुरा	जामटोली	जामटोली	केन्दपानी	आं.बा.सहायिका
7	दुलदुला	कोरना	बिपतपुर	बिपतपुर	बिपतपुर–2	आं.बा.सहायिका

6. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

ऑगनबाड़ी एवं मिनी आं.बा. कार्यकर्ता पद हेतु	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण
ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– कार्यकर्ता पद हेतु उपरोक्तानुसार आदिवासी परियोजना में बारहवीं उत्तीर्ण कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार कार्यकर्ता पद में भी शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

टीपः– सहायिका पद हेतु उपरोक्तानुसार आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर पाँचवी बोर्ड रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

7. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार के कार्ड की छायाप्रति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुलदुला द्वारा जारी होने पर (वर्तमान में गरीबी रेखा के लिए प्रचलित 2002 की गरीबी रेखा सूची ही मान्य होगी), कन्या आश्रम छात्रावास में आठवीं तक अध्ययन करने का प्रमाण पत्र में दाखिल खारिज एवं अंकसूची के आधार पर मिलान होने पर, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार को अर्हता क्रमॉक 04 के अनुसार पात्रता होने पर तथा विधवा अथवा परित्यक्ता महिला होने के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्सबंधी आदेश मान्य किया जावेगा। परित्याक्ता के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि ही मान्य होगी। तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर ही अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।
8. आवेदन पत्र के साथ जमा दस्तावेजों के आधार पर ही अंतिम मूल्यांकन पत्रक दावा आपत्ति हेतु जारी किया जावेगा। दावा आपत्ति केवल अंतिम मूल्यांकन पत्रक पर ही लिया जावेगा, दावा आपत्ति के समय किसी भी प्रकार का नया दस्तावेज नहीं लिया जावेगा।
9. समस्त दस्तावेज आवेदिका द्वारा स्व सत्यापित होना आवश्यक है।
10. बारहवीं एवं कक्षा दसवीं का अंकसूची मान्यता प्राप्त बोर्ड का होना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले ईच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
दुलदुला–2, जिला–जशपुर (छ.ग.)
दुलदुला, दिनांक 26/10.2019

पृ0क्र0 /298/स्था./बाविपरि/ 2019–20
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, महोदय जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
4. जिला रोजगार अधिकारी जशपुर। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)
5. जिला जन संपर्क अधिकारी, जशपुर। (सूचना कार्य हेतु)
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुलदुला। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)
8. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत .... विकास खण्ड दुलदुला। (चस्पा एवं मुनादी हेतु)।
9. सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना दुलदुला को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
दुलदुला–2, जिला–जशपुर (छ.ग.)